संख्या-03/2024/161/58-2024-1382377

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306-गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-1062.50 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0-177.08 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-122/बजट/2023-24, दिनांक- 29.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306-गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-1062.50 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0-177.08 लाख को अवतुक्त करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाईडलाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(4) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) विभागाध्य्क्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(9) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में न किया जाय।

(13) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(14) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वर्तमान/पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(17) निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा- निदेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(18) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(19) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,77,08,000 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001190306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-484-X-2023-24-दिनांक:5-2-2024**, में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 03/2024/161(1)/58-2024 , तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज।

https://

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up